राजस्व अपील संख्या : 62/2024
उनवान : गणेशराम व अन्य बनाम हिन्दुराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 62/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/416

अपीलाण्ट्स :–		रेस्पोडेण्ट्स :–
1. गणेशराम पुत्र श्री भेराराम 2. भीमाराम पुत्र श्री भेराराम 3. मोतीलाल पुत्र श्री भेराराम जातिगण मीणा, निवासीगण दुदापुरा तहसील देसूरी जिला पाली राज.	बनाम	1. हिन्दुराम पुत्र मांगाराम 2. वालाराम पुत्र मांगाराम 3. भीका पुत्र देवाजी जातिगण सीरवी निवासीगण दूदापुरा तहसील देसूरी जिला पाली राज. 4. सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली राज. 5. नायब तहसीलदार देसूरी जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध प्रकरण संख्या 40/2022 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. निर्णय दिनांक 14.11.2022 बअनवान सरकार बनाम गणेशराम वगैरा बइजलास नायब तहसीलदार देसूरी के निर्णय को अपास्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. **अपीलाण्ट्स की ओर से श्री गणेशराम।**
2. **रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी।**

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांक: 15.04.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **प्रकरण संख्या 40/2022 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. निर्णय दिनांक 14.11.2022 बअनवान सरकार बनाम गणेशराम वगैरा बइजलास नायब तहसीलदार देसूरी के निर्णय को अपास्त** करवाने बाबत् पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा दूदापुरा तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 95, 96, 97 व 98 की शामलाती खातेदारी कृषि भूमि आयी हुई है। उक्त शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि में प्रार्थी का उक्त निजी कृषि भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 58 रकबा 13 बिस्वा किस्म गवा, जागिर गेर मकबुजा जिसमे से प्रार्थी अपीलाण्ट अपने कृषि भूमि में आने जाने हेतु निजी सेरिये के रुप में करीबन 50 वर्षों से अधिक समय से उपयोग उपभोग करता आ रहा है जो खसरा नम्बर 187 गैर मुमकीन राजकीय डामर मैन रोड काणा जाने के उक्त रास्ते का कतई भाग नहीं है तथा इस संदर्भ में प्रार्थी द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के समक्ष उक्त रास्ते की किस्म परिवर्तन हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 62/2024
उनवान : गणेशराम व अन्य बनाम हिन्दुराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

पेश किया गया है। इसके बावजुद भी रेस्पोडेण्ट संख्या 05 ने गैर कानुनी तरीके से खसरा नम्बर 58 को खसरा नम्बर 187 गैर मुमकीन राजकीय रास्ते मे मिलाकर अन्य रेस्पोडेण्ट के साथ मिलावट कर रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 ने गैरकानूनी तरीके से प्रकरण संख्या 40/2022 कायम कर अपीलाण्ट को तंग व परेशान करने की नियत से निर्णय दिनांक 14.11.2022 पारित किया। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्टगण की अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2022 को निरस्त फरमावें।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में न्यायालय जिला कलक्टर पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान/वकुलाय को सुचित किया गया।

हस्तगत अपील के संबंध में तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01,02 व 03 की ओर से काबिल अधिवक्ता ने जवाब अपील मीमों पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अपने अपील के सक्षिप्त तथ्य सरासर गलत एवं असत्य वर्णित किये है ग्राम दुदापुरा के गत खसरा नम्बर 58 की किस्म गवा जागीर गैर मक उजा नहीं होकर गांव के मार्ग व पगडंडिया किस्म है जो जमाबंदी सम्वत 2024–2027 से प्रमाणित है। रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 ने विधिपुर्वक कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट को रास्ते की भूमि से बेदखल कर रास्ता खुलवाया गया। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रकरण संख्या 40/2022 के तहत कानूनी रुप से कार्यवाही की है जिससे अपीलाण्ट की अपील काबिल खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील का जवाब पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील सव्यय खारिज फरमावें।

अपीलाण्ट की ओर से काबिल अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 187 एवं 58 गै.मु. रास्ता की राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज तथ्यों के विपरित जाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस हेतु खसरा नम्बर 58 का सीमांकन भी नहीं किया गया। हल्का पटवारी द्वारा घटना बही तक का उल्लेख प्रकरण में नहीं किया है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 के साथ मिलावट कर अपीलाण्ट के विरुद्ध प्रकरण तैयार किया है

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने उक्त लिखित बहस के सलंग्न ही दिनांक 29.01.2025 को एक प्रार्थनापत्र वास्ते मौका कमिश्नर नियुक्त की सीमाज्ञान रिपोर्ट तलब करने हेतु पेश किया। अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय 03 ने उक्त प्रार्थना पत्र विरोध करते हुए लिखित में निवेदन किया कि पत्रावली में बहस के स्तर पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का एकमात्र उदेश्य प्रकरण में देरी उत्पन्न करना है। यह भी, कि अपीलार्थी को साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अपीलाण्ट सीमाज्ञान हेतु प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार।

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

को सीधे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना बाबत् मौका कमिश्नर नियुक्ति सीमाज्ञान रिपोर्ट तलब करने के संबंध में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस आधार अंकित नहीं किया है, जिससे कि विवादग्रस्त आराजी के संबंध में मौका कमिश्नर नियुक्त करने की आवश्यकता प्रतीत हो। साथ ही, जब सीमाज्ञान हेतु सीधे तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की नियमों में पूर्व ही व्यवस्था है, तो न्यायालय हाजा से सीमाज्ञान रिपोर्ट तलब करवाने का प्रयास अपने पक्ष में साक्ष्य एकत्रीकरण का कुत्सित प्रयास ही समझा जाएगा। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना ख़ारिज किया जाता है।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अधिवक्ता उभयपक्ष की मूल बहस सुनने का निश्चय किया गया। काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण का खसरा नम्बर 187 पर कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के ज़ैर अपील प्रकरण 40/2022 में जो अतिक्रमित क्षेत्र बताया गया है, वह गत खसरा संख्या 58 का भाग है, जिसकी किस्म गै.मु. गोवा एवं रकबा 13 बिस्वा था। उक्त गत खसरा संख्या 58 वर्तमान खसरा संख्या 187 से किसी भी रुप में संबंधित नहीं है। गत खसरा संख्या 58 अपीलाण्ट की निजी खातेदारी तक पहूंचकर समाप्त हो जाता है एवं केवल अपीलार्थीगण द्वारा ही उक्त का निजी मार्ग के रुप में उपयोग–उपभोग किया जाता है। रकबे से अधिक अतिक्रमण अर्थात 13 बिस्वा के स्थान पर 0.18 हैक्टेयर बताकर हमें हमारी खातेदारी भूमि से बेदखल किया जा रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 40/2022 एवं ज़ैर अपील आलोच्य आदेश दिनांक 14.11.2022 की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

बहस के प्रत्युतर में काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 01,02 व 03 द्वारा जवाबपत्र में उल्लेखित तथ्यों को इंगित करते हुए निवेदन किया कि गत खसरा नम्बर 58 से ही वर्तमान खसरा संख्या 187 गै.मु. रास्ता बना है, जो कि सार्वजनिक रास्ता है, तथा जिस पर अपीलाण्ट द्वारा तारबंदी कर अतिक्रमण कर दिए जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 40/2022 में ज़रिए निर्णय दिनांक 14.11.2022 के अपीलार्थीगण के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभाव में लाई गई उक्त कार्यवाही विधिसम्मत होने से अपील खारिज की जाए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा अपील मीमों तथा संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो विशेषतः मिलान क्षेत्रफल से यह जाहिर होता है कि वर्तमान खसरा संख्या 187 गै.मु. रास्ता (मौजा दुदापुरा) रकबा 1.16 हैक्टेयर गत खसरा संख्या 51, 64 एवं 58 से बना है। गत खसरा संख्या 58 कुल रकबा 13 बिस्वा की किस्म खतौनी

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 62/2024

उनवान : गणेशराम व अन्य बनाम हिन्दुराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

बन्दोबस्त संवत् 2009–28 में गै.मु. गोवा के रुप में दर्ज है और गै.मु. गोवा रास्ते की ही श्रेणी है। इसके अतिरिक्त जमाबंदी संवत् 2030–33 में भी उक्त, खसरा संख्या 58 गै.मु. मारग के रुप में सरकारी खाते में ही दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह तर्क दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होता है कि वर्तमान खसरा संख्या 187, जिसके 0.18 हैक्टेयर पर अपीलाण्ट के अतिक्रमण के विरुद्ध जैर–अपील कार्यवाही प्रभाव में लाई गई, एवं गत खसरा संख्या 58 का कोई संबंध नहीं है जो कि आम सार्वजनिक रास्ता न होकर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि तक पहूंचने का निजी उपयोग–उपभोग का रास्ता अपीलार्थीगण बता रहे है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा ज़ेर अपील प्रकरण संख्या 40/2022 के अवलोकन उपरान्त जाहिर होता है कि उक्त प्रकरण में विधिक प्रक्रिया की पूर्णतः पालना की गई है एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही आलोच्य आदेश दिनांक 14.11.2022 पारित किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि ज़ेर अपील बेदखली आदेश दिनांक 14.11.2022 पारित करने के बाद दिनांक 22.03.2023 एवं 31.03.2023 को खसरा संख्या 187 पर अपीलाण्ट के अतिक्रमण को भौतिक रुप से हटाया भी जा चुका है। प्रमाण के रुप में मौका फर्द पत्रावली में पूर्व से उपलब्ध है।

उपरोक्त वजुहातो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय बइजलास नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 40/2022 एवं निर्णय दिनांक 14.11.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के उपबन्धान्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील सारहीन होने से ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner